UPGK010023882026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या–1007/2026

झुन्नु मीर उम्र लगभग 32 वर्ष पुत्र ईशू मीर, निवासी चतुर्भुजवा वार्ड नं०- 14 थाना शिकारपुर नरकटियागंज पं० चम्पारण, बेतिया, बिहार। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी**

मु0अ0सं0- 228/2025
अंतर्गत धारा- 305(सी), 317(2), 317(4) भा०न्या०सं०
थाना- जी०आर०पी०, जनपद-गोरखपुर।

1. आवेदक/अभियुक्त झुन्नु मीर की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र पत्र संख्या- 1007/2026 मु0अ0सं0-228/2025, अंतर्गत धारा- 305(सी), 317(2), 317(4) भा०न्या०सं०,थाना- जी०आर० पी०, जनपद-गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है।

2. जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दिनांक 16.06.2025 को मैं सीकर जंक्शन से न्यू बोंगाईगाँव (ट्रेन संख्या-05635) तक ट्रेन (SGNR-GHY स्पेशल ट्रेन) में यात्रा कर रहा था। दिनांक 16.06.2025 को लगभग 12:00 से 12:30 AM के बीच जब ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुँची, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा मोबाइल फ़ोन गायब है। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी के फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल किया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरा कॉल उठाया और जवाब दिया कि "मुझे आपका फ़ोन ट्रेन में मिला है और मैं इसे आपको वापस दे दूँगा। इसलिए कृपया अपना डाक पता और स्पीड पोस्ट का शुल्क बताएँ।" मैंने उस पर विश्वास कर लिया और दिनांक 17.06.25 को लगभग 10:00 AM बजे PhonePe के माध्यम से उसे 600/- रुपये भेज दिए। मेरा भुगतान प्राप्त करने के बाद उसने मेरा मोबाइल बंद कर दिया और उस अज्ञात व्यक्ति से मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया।

3. दिनांक 28.02.2026 को उपनिरीक्षक सरोज प्रसाद व उनके हमराहियान द्वारा अभियुक्त झुन्नू मीर पुत्र इशु मीर को गिरफ्तार किया गया व उसके जामा तलाशी से पहने हुए जींस पैंट के दाहिने जेब से दो अदद मोबाइल एण्ड्रायड फोन- एक मोटोरोला बारंग नीला व दूसरा नार्जो मोबाइल बारंग हल्का हरा व बायीं जेब से कुल 3,000/- रूपया नकद बरामद किये गए। उक्त दोनों एण्ड्रायड मोबाइल फोनों के कागजात दिखाने से कासिर रहा, कड़ाई से पूछने पर बताया कि मोटोरोला मोबाइल मुझे, मेरे द्वारा चोरी किये गये लेडिज पर्स में मिला था जिसमें मुझे रूपया 10,12 हजार व कुछ जेवरात भी मिले थे, जेवरात मैंने अलग-अलग अंजान व्यक्तियों को कम पैसों में बेच दिया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, उसे उपरोक्त मुकदमे में गलत फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप असत्य व निराधार है आवेदक/अभियुक्त का तथा कथित बरामद मोबाईल से कोई सम्बन्ध नहीं है आवेदक/अभियुक्त का कोई सिम उक्त मोबाईल में नही लगा है जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक/अभियुक्त ने उक्त मोबाईल का इस्तेमाल किया है या सी०डी०आर० के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। आवेदक/अभियुक्त को मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से फर्जी ढंग से मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से जो बरामदगी दिखाई गयी है वह पूर्णतः फर्जी है जी०आर०पी० की पुलिस द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से बरामद मोबाईल को आवेदक/अभियुक्त के पास से बरामद बता कर झूठी कहानी रच कर फँसा दिया गया है। तथाकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नही है सिर्फ जी०आर०पी० के पुलिस वाले ही गवाह है। आवेदक/अभियुक्त को पूर्व में दर्ज मुकदमें के सम्बन्ध में पूछताछ करने के लिये थाने पर बुलाया था आवेदक/अभियुक्त अपने पत्नी के साथ थाने पर आया तो वहाँ के पुलिस वालो ने बताया कि तुम्हारा सत्यापन हो रहा है अपना आधार कार्ड अपने घर का फोटो व रिश्तेदारो का डिटेल लिख कर ले आओ तुम्हे छोड़ दिया जायेगा। उक्त दस्तावेज को लेने पत्नी घर चली गयी तब आवेदक/अभियुक्त के पास से फर्जी बरामदगी दिखाकर अज्ञात में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया। आवेदक/अभियुक्त काफी समय से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का कड़ा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। कथित घटना एवं फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी अभियुक्त का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है किन्तु उसे किसी मामले में दोषसिद्ध किया गया हो ऐसा अभियोजन का कोई तर्क नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त झुन्नु मीर की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र को मु0 50,000/- (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदक/अभियुक्त विवेचना के दौरान जब विवेचनाधिकारी बुलायेगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांक-19.03.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code-1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 14:59:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court